तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/6/22 L.T.I. शिवलाल S.D. 12/03/2022	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। तहसीलदार बानसूर से जाँच रिपोर्ट प्राप्त। जो शामिल मिसल की गयी। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:29:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

पीठासीन अधिकारी:– श्रीमती कंचन राठौड़ (आर. ए. एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या 03/2022

वादी :–

1. शिवलाल पुत्र श्री भीखाराम जाति राईका निवासी बासनी डांवरा, तहसील बावड़ी, जिला–जोधपुर।

प्रतिवादी :–

भूमिधारी जरिये तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

अधिवक्ता :–

1. श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

–:निर्णय:–

दिनांक 13.06.2022

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। कि ग्राम बासनी डांवरा, पटवार हल्का बासनी डांवरा तहसील बावड़ी की राजस्व सीमा में वादी की कृषि भूमि मौजा ग्राम बासनी डांवरा के खसरा संख्या क्रमशः 1337/1 रकबा 1.4562 है. व 1340 रकबा 3.1794 है. कुल 2 खसरे रकबा 4.6356 हैक्टयर में भूमि आयी हुई है। जिसमें बासनी डांवरा की संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति पेश की है। जिसमें वादी का नाम सीयाराम पुत्र भीकाराम दर्ज है। जो गलत है। सही नाम शिवलाल पुत्र भीखाराम सही नाम है। राजस्व वाद में साक्ष्य के रूप में वादी ने आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी प्रस्तुत किये गये। जिसमें वादी का सही नाम शिवलाल पुत्र भीखाराम है। तहसीलदार बावड़ी से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल की गई। तहसीलदार बावड़ी की रिपोर्ट के पैरा संख्या 8 के अनुसार साक्ष्य सबूतों के आधार पर वादी का नाम सियाराम पुत्र भीकाराम से शिवलाल पुत्र भीखाराम किया जाता है। तो राजहीत प्रभावित नहीं होता है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन करने के बाद वादी का राजस्व वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्व वाद स्वीकार योग्य है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:29:06 IST
Reason: SelfAttested

वादी का राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम बासनी डांवरा की खसरा संख्या क्रमशः 1337/1 रकबा 1.4562 है. व 1340 रकबा 3.1794 है. कुल 2 खसरे रकबा 4.63[illegible] हैक्टयर भूमि में वादी का नाम सियाराम पुत्र भीकाराम के स्थान पर सियाराम उर्फ शिवलाल पुत्र भीखाराम दुरस्त कर तहसीलदार

बावड़ी को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर अमल-दरामद करे। तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

श्रीमती कंचन राठौड़
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

आदेश आज दिनांक 13.06.2022 को खुले न्यायालय में मजमे-आम सुनाया गया ।

श्रीमती कंचन राठौड़
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:29:06 IST
Reason: SelfAttested